

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-



श्री भंवरलाल पुत्र सोनाराम मेघवाल, निवासी
गरवलियां हाल 70, आशापुरा नगर, खोडिया
बालाजी, पाली

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) रोहट

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 105/2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/9/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) रोहट ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 4/10/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलेक्टर, पाली </p> <p>4/10/19 प्राथमिकी काज पेश हुई।</p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश का निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी रोहट से अपील को वांछित सूचना उपलब्ध करवाए जावे।</p> <p>इस मामलात में द्वारा जारी फांक्ट 147677 के लिखा जोर पर रोहट द्वारा प्रेषित जारी फांक्ट रीट/19/1592 डि 26-9-2019 के लिखा गया कि अपील को वांछित सूचना उनके कार्यालय के फांक्ट राजाच/19/1467 डि 3-9 के द्वारा निजर्कर जा चुकी है।</p> <p>रोहट द्वारा वांछित सूचना अपील को उपलब्ध करा दिए जोर से अपील के सर्किल में किसी प्रकार की कार्यवाही कोपेक्षित नहीं होने से अपील निष्पत्ती की जा रही है।</p> <p>प्राथमिकी शुरू करवाए जाने की जाफर जाफर से कमेंटो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलेक्टर, पाली </p>	<p>1476-77 20/9/19</p>